<u>शुद्धिपत्र</u>

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

सेंट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल और सेंट्रल हिन्दू ब्वायज़ स्कूल

कक्षा *VI, IX* और *XI* में प्रवेश के लिए सूचना विवरणिका

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष बालिकाओं और बालकों को सेंट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल और सेंट्रल हिन्दू ब्वायज़ स्कूल में कक्षा VI, IX और XI में प्रवेश दिया जाता है।

तकनीकी सहायता के लिए मोबाइल नंबर
9836219994

1. वर्तमान कोविड -19 महामारी के दौरान बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, बीएचयू स्कूल बोर्ड ने सेट-2020 परीक्षा आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया है, परिणामतः निम्नलिखित कक्षाओं में प्रवेश हेतु निम्नानुसार नई प्रणाली अपनायी गई है -:

(i) कक्षा VI **एवं कक्षा** IX: ई-लॉटरी के माध्यम से ।

1. बीएचयू कर्मचारी वार्ड के आवेदकों का प्रवेश पहले किया जाएगा। 50% सीटें बीएचयू कर्मचारी वार्ड के लिए आरक्षित हैं।

2. शेष सीटों को प्राथमिकता के क्रम में ई-लॉटरी द्वारा आवंटित किया जाएगा: -

a) <u>प्रथम चरण :</u> 3% सीटें दिव्यांग आवेदकों को (क्षैतिज रूप में) आवंटित की जाएंगी।.

b) <u>द्वितीय चरण</u> :

I. अनु.ज.जा. उम्मीदवारों के लिए ई लॉटरी निकाली जाएगी।

II. अनु.जा. उम्मीदवारों के लिए ई लॉटरी निकाली जाएगी।

नोट: अनु.जा./अनु.ज.जा. की सीटें पंजीकृत अभ्यर्थियों की उपलब्धता के अनुसार सीटों को परस्पर अदला-बदली(इंटरचेंज) करने के बाद ही भरी जा सकेंगी अर्थात अनु.जा. की रिक्त सीटें अनु.ज.जा. के आवेदकों द्वारा भरी जा सकती हैं और विलोमतः अनु.ज.जा. की रिक्त सीटें अनु.जा. के आवेदकों द्वारा भरी जा सकती हैं।

III. अ.पि.व.- नॉन क्रीमी लेयर उम्मीदवारों के लिए ई लॉटरी निकाली जाएगी।

c) <u>तृतीय चरण</u>: द्वितीय चरण के बाद, शेष सीटें अनारक्षित आवेदकों को आवंटित की जाएंगी।

3. प्रत्येक चरण की प्रतीक्षा सूची अलग से तैयार की जाएगी।

(ii) कक्षा XI: कक्षा X की मेरिट के आधार पर।

कक्षा XI में प्रवेश, उम्मीदवार द्वारा बोर्ड की दसवीं कक्षा की परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा और उसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी:-

मेरिट (प्राप्तांक प्रतिशत) = (कुल प्राप्तांक/ विषयों का कुल अधिकतम अंक) X 100

जिन बोर्डों में प्राप्तांक प्रतिशत में दिए गए हैं, यथा CISCE, नई दिल्ली, ऐसे मामलों में मेरिट की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

मेरिट (प्राप्तांक प्रतिशत) =∑ विषयों का प्रतिशत अंक / विषयों की संख्या

यदि दसवीं कक्षा के अंकों के आधार पर दो या दो से अधिक उम्मीदवार एक ही मेरिट (प्राप्तांक प्रतिशत) में आते हैं तो इस स्थिति में मेरिट, **तालिका-1** के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

तालिका - 1

क्र.सं.	विषय समूह	उन दोनों में मेरिट के लिए विचारार्थ विषय
1.	गणित	गणित में प्राप्तांक प्रतिशत #
2.	जीव विज्ञान	विज्ञान में प्राप्तांक प्रतिशत #
3.	वाणिज्य	सामाजिक विज्ञान में प्राप्तांक प्रतिशत (CISCE बोर्ड के लिए इतिहास + नागरिक शास्त्र + भूगोल का प्रतिशत अंक) #+ गणित प्राप्तांक प्रतिशत अंक
4.	कला	सामाजिक विज्ञान में प्राप्तांक प्रतिशत (CISCE बोर्ड के लिए इतिहास + नागरिक शास्त्र + भूगोल का प्रतिशत अंक) #

 # अंकों की प्रतिशतता गणना दशमलव के 3 स्थान तक की जाएगी।

यदि तालिका-1 के अनुसार गणना करने पर भी दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं, तो आगे की मेरिट तालिका-2 में दिए गए विषय संयोजनों को लेते हुए निर्धारित की जाएगी:

तालिका - 2

क्र.सं.	विषय समूह	उन दोनों में मेरिट के लिए विचारार्थ विषय
1.	गणित	गणित में प्राप्तांक प्रतिशत + विज्ञान में प्राप्तांक प्रतिशत #
2.	जीव विज्ञान	विज्ञान में प्राप्तांक प्रतिशत + गणित में प्राप्तांक प्रतिशत #
3.	वाणिज्य	सामाजिक विज्ञान में प्राप्तांक प्रतिशत (CISCE बोर्ड के लिए इतिहास + नागरिक शास्त्र + भूगोल में प्रतिशत अंक) + गणित # + विज्ञान में प्राप्तांक प्रतिशत
4.	कला	सामाजिक विज्ञान में प्राप्तांक प्रतिशत (CISCE बोर्ड के लिए इतिहास + नागरिक शास्त्र + भूगोल में प्रतिशत अंक) + किसी एक भाषा में प्राप्तांक प्रतिशत जिसमें अधिकतम हो#

 # अंकों की प्रतिशतता की गणना दशमलव के 3 स्थान तक की जाएगी।

यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की मेरिट तालिका-2 में दी गई गणना के बाद भी समान है, तो उम्मीदवारों की आयु पर विचार किया जाएगा और अधिक आयु वाले उम्मीदवार को मेरिट में उच्चतर माना जाएगा।

3. **सभी नए प्रवेशों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए क्रमश: 15% और 7.5% आरक्षण के अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग-नॉन -क्रीमी लेयर (ओबीसी-एनसीएल) के लिए 27% सीटें आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है।**

4. **उपरोक्त परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए, सभी वर्गों के उम्मीदवारों हेतु नए आवेदन के लिए प्रवेश पोर्टल खुला रहेगा।**

5. जिन अभ्यर्थियों ने पहले से आवेदन किया है उन्हें अपने आवेदन पत्र को अद्यतन(अपडेट) करने का अवसर दिया जाएगा ।

   a. ओबीसी-एनसीएल वर्ग से संबंधित सभी अभ्यर्थी जिन्होनें सामान्य वर्ग में आवेदन किया है, अपने वर्ग में अद्यतन(अपडेट) करें।
   यह सभी कक्षाओं VI, IX और XI के लिए लागू होगा।

   b. कक्षा XI (सभी समूहों) के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कक्षा X का अंकपत्र और अन्य संबंधित विवरण अपलोड करना होगा।

6. **यदि पहले से ही पंजीकृत उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चाहते हैं तो, ले सकते हैं। उनका शुल्क उसी खाते में वापस लौटा दिया जाएगा जिस खाते से उसका भुगतान किया गया था। तथापि, ऑनलाइन पोर्टल बंद हो जाने के बाद किसी भी तरह के शुल्क वापसी के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।**

7. **अ.पि.व. वर्ग के नए अभ्यर्थियों के लिए शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के समान होगा - ₹400/-**

7. <u>अन्य पिछड़ा वर्ग- नॉन क्रीमी लेयर</u>

अ.पि.व.-एनसीएल वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों को 27% आरक्षण विभिन्न कक्षाओं में नए प्रवेश पर प्रदान किया जाएगा । अ.पि.व प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी वही होंगे जो अ.जा./ अ.ज.जा.के मामले में होते हैं। अ.पि.व में केवल वही जाति होंगी जो केंद्रीय सरकार की सूची में सम्मिलित हैं। इसके अलावा अ.पि.व प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि उम्मीदवार क्रीमी लेयर के अंतर्गत

नहीं आता है और **प्रमाणपत्र छह महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।** तथापि, अगर कोई अ.पि.व उम्मीदवार किसी अन्य वर्ग (उदाहरण के लिए दिव्यांग (अस्थि दिव्यांग) / कर्मचारी वार्ड आदि) के अंतर्गत प्रवेश चाहता है, तो उसे उस वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम पात्रता को पूरा करना आवश्यक होगा।

प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित अधिकृत हैं :

i. जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अपर उपायुक्त / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वैतनिक मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त ।

ii. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

iii. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हो।

iv. उस क्षेत्र के उप-विभागीय अधिकारी, जहां उम्मीदवार और / या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता हैं।

v. प्रशासक / प्रशासक के सचिव / विकास अधिकारी (लक्षद्वीप द्वीप समूह के लिए)।

सहायता केंद्र मोबाइल नंबर

कक्षा –VI	कक्षा –IX	कक्षा –XI
9415814734 **6391090876**	**9616910299** **9956745909**	**6386759192** **6386180790** **9125621181** **7905631010**